निर्णय न्यायालय श्री दिव्यांशु शर्मा आर ए एस
उप खण्ड अधिकारी बारां जिला बारां राज० अध्यासित

प्रकरण नं. 6/21 अपील
दायरा दिनांक:- 8.7.21
निर्णय दिनांक - 26.10.21

<u>उनवान</u>

नरेन्द्र कुमार पुत्र रामकल्याण जाति मीणा निवासी सारोली तह० बारां जिला बारां

<u>बनाम</u>

1- सचिव ग्राम पंचायत कम्मलपुर पं. स. बारां
2. नवल किशोर पुत्र रामकल्याण
3. शिवराज पुत्र रामकल्याण
4. रामनाथी पत्नी रामकल्याण जाति मीणा निवासी सारोली तह बारां

अपील इन्तकाल नं. 311
निर्णय दिनांक :- 26.10.2021

अभिभाषक उपस्थित :- 1- श्री नरेन्द्रसिंह राठौड़ - अपीलार्थी
2 श्री केसरीसिंह - रेस्पो.

अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा अपील इन्तकाल नं. 311 विरुद्ध रेस्पो. के न्याया. के इस आशय का पेश किया गया कि वाके मौजा सारोली तह० बारां मे आराजी ख. नं. 182 रकबा 0.34 हे. ख. नं. 183 रकबा 0.17 हे. ख. नं. 468 रकबा 0.11 हे. ख. नं. 594 रकबा 1.09 हे. ख. नं. 618 रकबा 1.15 हे. कुल 5 किता रकबा 2.86 हे. आराजी अवस्थित है जिसे अपीलार्थी के पिता रामकल्याण के खाते खा. क्र. पर ग्राम पंचायत कम्मलपुर द्वारा शिविर स्थल पं. स. बारां मे इन्तकाल नं. 311 दिनांक 24.1.2001 को खोला गया था जिसमे रामकल्याण जी के वारिसान मे ग्राम पंचायत कम्मलपुर द्वारा रेस्पो. क्र 2 ता 4 का नाम ही [illegible] किया गया है जबकि रामकल्याण के रेस्पो. क्र 2 ता 4 के [illegible] नरेन्द्र कुमार भी पुत्र है [illegible] उक्त इन्तकाल [illegible] खाते पर विधिवत इन्तकाल मे नाम दर्ज नही

लगातार-2

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:27:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

यह अपील प्रस्तुत की है अधीनस्थ न्यायालय का उक्त इन्तकाल खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है अपीलार्थी-2 कल्याण जी का नाम छूटा है तथा उनका वारिस है इस कारण इन्तकाल को निरस्त करवाकर अपीलार्थी-2 अपने नाम उक्त आराजियात में अंकित कराने का अधिकारी है। खाता सं. 180 की 5 किता रकबा 2.86 हे. आराजी की नकल जमाबन्दी में भी उक्त इन्तकाल गलत खोले जाने की वजह से अपीलार्थी-2 का नाम दर्ज नहीं है जबकि वाके सारोली तह. बारां की खाता सं. 116 में अंकित ख.नं. 874/731 रकबा 1.92 हे. आराजी में अपीलार्थी-2 का नाम दर्ज है उक्त इन्तकाल 311 तारीख 24.1.2001 में अपीलार्थी-2 का नाम नहीं होने से गलत इन्तकाल होने से निरस्तनीय है अपीलार्थी-2 रामकल्याण जी का वारिस है तथा उनकी आराजीयात में अपना नाम अंकित कराने का अधिकारी है जो इन्तकाल नं. 311 दिनांक 24.1.2001 को खोला गया है वह निरस्त होने योग्य है अधीनस्थ न्याया. द्वारा कोई तहकीकात नहीं की है तथा मनमाने तौर पर शिविर में रामकल्याण जी का गलत नजरा बनाकर इन्तकाल खोला गया है जो निरस्तनीय है अपीलार्थी ने उक्त इन्तकाल व जमाबन्दी की नकल हेतु दिनांक 15.4.21 को आवेदन किया गया है जिसकी नकल दिनांक 28.4.21 को प्राप्त होने पर अपील अन्दर पेश है नकल प्राप्त होने पर उक्त इन्तकाल में अपना नाम दर्ज नहीं होने की जानकारी प्राप्त हुई है इन्तकाल की नकल लेने में लगे समय को कन्डोन करने पर अपील अन्दर मियाद पेश है अपील अपीलार्थी स्वीकार करने का निवेदन किया है।

अपील अपीलार्थी-2 दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. को नोटिस जारी तलब किया गया। अपीलार्थी-2 द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 4.5.2021, नकल जमाबन्दी ग्राम सारोली सम्वत 2073-76, खाता नं. 180, नकल जमाबन्दी ग्राम सारोली सम्वत 2073-76 खाता नं. 116, नकल जमाबन्दी ग्राम सारोली सम्वत 2049-52 नकल जमाबन्दी ग्राम सारोली सम्वत 2057-60, खाता नं. 247, नकल नामा. सं. 311 दिनांक 24-1-2001 ग्राम सारोली [illegible] की गई। रेस्पो. 1 ता 4 की ओर से इकबाली [illegible] रेस्पो. द्वारा इकबाली जवाब पेश कर अपील स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होना बताया है

लगातार-3

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:27:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

बहस अभिभाषक अपीलान्ट सुनी गयी। बहस के दौरान वकील अपीलान्ट द्वारा अपील के अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील प्रार्थी / अपीलान्ट का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम [illegible] के खाता है जो अपीलान्ट के पिता के खातेदारी में दर्ज है। अपीलान्ट के पिता रामकल्याण की मृत्यु के बाद नामान्तरण खोला था। खोला गया किन्तु अपीलान्ट का नाम छोड दिया गया। जबकि अपीलान्ट भी मृतक रामकल्याण का जायज वारिस था। अपीलान्ट को उक्त विवादित आराजी का जमाबन्दी में इन्तकाल के आधार पर नोट अंकित किया गया जमाबंदी की नकल लेने के बाद जानकारी / अपीलान्ट को ज्ञात हुआ। विवादित आराजी पूर्व में मृतक रामनारायण के खातेदारी में दर्ज थी नामान्तरण खोला गया किन्तु अपीलान्ट का नाम छोड दिया गया। जो इन्तकाल खारिज होने योग्य है। रेस्पो. क्र. 1 व 4 की ओर से इकतरफा जवाब पेश कर अपील स्वीकार करने में रेस्पो. को कोई आपत्ति नहीं है। अपीलान्ट द्वारा इन्तकाल की अपील पेश की किन्तु जमाबंदी की नकल दिनांक [illegible] लेकर [illegible] की है जो जिसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है धारा 5-3। सरपंच ग्राम पंचायत [illegible] द्वारा तस्दीक किया है जिसको अपील इन्तकाल में पक्षकार नहीं बनाया गया है उचित ग्राम पंचायत [illegible] को पक्षकार बनाया गया है अपील [illegible] के अभाव में एवं सरपंच ग्राम पंचायत [illegible] को पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण अपील खारिज किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट [illegible] व सुनवाई योग्य नहीं होने के कारण खारिज की जाती है निर्णय लिखाया जाकर [illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:27:43 IST
Reason: SelfAttested

(दिव्यांशु शर्मा)
RAS
उपखण्ड अधिकारी
बारां

उपखण्ड अधिकारी बारां

Scanned with CamScanner